न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी कायम वाद संख्या–21 / 2013

राजकिशोर सिंह.....आवेदक

बनाम

सरकार एवं अन्य..... विपक्षी

आदेश

12.01.15

आवेदक श्री राजकिशोर सिंह पे0–स्व0 देवनन्दन सिंह, सा0–चैधा बन्नी, थाना–महेशखूंट, जिला–खगड़िया ने सरकार को विपक्षी पक्षकार बनाते हुए यह वाद निम्नलिखित ब्यौरे की भूमि पर लाया है।

मौजा–	थाना–	तौजी–	खाता–	खेसरा–	अराजी
दहमा खैरा	192	7559	356	2405	22–11–02

वि0क0धू0

(बाईस बीघा ग्यारह कठ्ठा दो धूर)

आवेदक ने अपनी अर्जी में कहा है कि दुखा सिंह पे0–स्व0 शिवदयाल सिंह, साकिन–चैधा बन्नी, के एक मात्र पुत्र स्व0 देवनन्दन सिंह थे और उनके एक मात्र पुत्र एवं वारिसान आवेदक ही है। जमाबंदी कायम हेतु अंचल अधिकारी, अलौली के कार्यालय में लिखित आवेदन दिया परन्तु अंचल अधिकारी ने वरीय पदाधिकारी के आदेश के बिना जमाबंदी कायम करने से मना कर दिया। इसिलिए जमाबंदी कायम हेतु इस न्यायालय में वाद लाया है। आवेदक का कहना है कि उनके पूर्वजों द्वारा प्रश्नगत भूमि का किसी प्रकार हस्तान्तरण दस्तावेज या रजिस्ट्री केवाला किसी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है। उन्होनें जमीन पर अपना दखल कब्जा भी बताया है।

आवेदक के आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, अलौली से इस न्यायालय के डी0बी0 नं0–65 दिनांक–04.03.2014 द्वारा बिन्दुवार जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, अलौली ने अपने पत्रांक–894 दिनांक–10.05.13 द्वारा जाँच प्रतिवेदन भेजा है जिसमें कहा गया है कि विषय वस्तु की जाँच स्थानीय हल्का कर्मचारी से कराई गई और उनके प्रतिवेदन से वे सहमत है। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन जिसे अंचल अधिकारी, अलौली ने संलग्न किया है का अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत दुखा सिंह पे0–शिवलाल सिंह, साकिन–चैधा है। खतियानी रैयत को आवेदक राजकिशोर सिंह का दादा बताया है तथा इनके नाम से जमाबंदी नहीं चल रही है बताया है। आवेदक को प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा भी नहीं है प्रतिवेदित किया है।

इस बीच दिनांक–07.06.14 को विनोदानन्द सिंह पे0–स्व0 प्रमोद नारायण सिंह वो अम्बुज कुमार पे0–स्व0 पदमानन्द सिंह, सा0–रहीमपुर डीह, थाना–नुफसिल, जिला–खगड़िया ने एक आवेदन पत्र देकर वाद में हस्तक्षेपक बनाने हेतु अनुरोध किया। उनका कहना है कि आवेदक अपने को खतियानी रैयत के वारिसान बताकर मौजा–दहमा खैरी खुटहा के प्रश्नगत खाता–356, खेसरा–2405 पर 110 वर्षों बाद जमाबंदी सृजन का वाद लाया है जो सरासर गलत है। प्रश्नगत खाता खेसरा की जमीन की जमाबंदी पूर्व से महावीर स्वामी, श्री कृष्ण स्वामीजी वो श्री राधा स्वामीजी सेवायत प्रमोद नारायण सिंह के नाम जमीनदारी उन्मूलन के बाद

से चल रही है और उनके द्वारा जमीन बिक्री भी की गई है। शुरू से प्रश्नगत जमीन पर सेवायत प्रमोद नारायण सिंह का दखल काबिज चल रहा था एवं उनके स्वर्गवास के बाद सेवायात का कार्य उनके पुत्र विनोदानन्द सिंह (हस्तक्षेप आवेदक) देख रहे है तथा अम्बुज कुमार प्रमोद नारायण सिंह के पोता है। उन्होनें इस वाद में हस्तक्षेपक पक्षकार बनाने हेतु अनुरोध किया है।

उनके आवेदन पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त हस्तक्षेपक पक्षकार बनाने की स्वीकृति दी गई।

हस्तक्षेपक पक्षकार की ओर से आवेदक के जमाबंदी कायम संबंधी आवेदन पत्र के विरूद्ध में एक आपत्ति आवेदन पत्र दाखिल किया गया।

अपने आपत्ति आवेदन में हस्तक्षेपक ने बताया है कि आवेदक का प्रश्नगत भूमि से कोई संबंध नहीं है न ही ये दुखा सिंह के उत्तराधिकारी है बल्कि 111 वर्ष के बाद प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी कायम हेतु दावा कर रहे है इसिलिए कानुनी दुष्टिकोण से भी इनका दावा संधारणीय नहीं है।

वे आगे बताते है कि एक अवध बिहारी प्रसाद सिंह ग्राम–रहीमपुर निःसंतान थे और उनको दो पत्नी जानकी देवी एवं गंगा देवी थी। वे धार्मिक प्रवृति के व्यक्ति थे। उन्होनें तीन देवी देवताओं श्री राधा जी, श्री कृष्ण जी, एवं महावीर जी की स्थापना ठाकुरबाड़ी अपने एक अलग बंगला में अपने आवासीय मकाने से सटे स्थापित किया। उसके प्रबंधन के लिए अवध बिहारी सिंह ने ही उनके द्वारा उन देवी देवताओं को समर्पित सम्पति से प्राप्त आय से करने हेतु स्व0 अवध बिहारी सिंह के सेवायत के अधीन ही वे भूमि पर दखलकार हुए।

उनका आगे कहना है कि अवध बिहारी सिंह ने अपनी सारी नामी एवं वेनामी जमीन देवी देवताओं के नाम समर्पित कर दी। दुखा सिंह का नाम केवल खतियान में अभिलिखित था परन्तु वास्तव में भू–स्वामी अवध बिहारी सिंह ही थे। मौजा–दहमा की भूमि के स्वामित्व में भी यही थे, और यह बात दुखा सिंह और उनके वारिस लाल बिहारी सिंह की जानकारी में भी थी। लाल बिहारी सिंह भी निःस्तान स्वर्गवास हो गये।

सेवायत अवध बिहारी सिंह वर्ष 1946 में स्वर्गवास हो गये। उनके मरणोपरान्त सेवायत उनकी पत्नी गंगा देवी हुई। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात गंगा देवी का नाम अलौली अंचल के मौजा दहमा की जमाबंदी पंजी II में प्रश्नगत भूमि का दर्ज हुआ और जमाबंदी संख्या 32 में 22 विधा 5 कठ्ठा 11 घूर जमीन श्री महावीर स्वामी एवं अन्य सेवायत श्रीमति गंगा देवी पति अवध बिहार प्रसाद सिंह दर्ज पाया। वर्ष 1963 में गंगा देवी की भी मृत्यु हो गई और उनके मरणोपरान्त उनके परिवार के सदस्य प्रमोद नारायण सिंह (विपक्षी हस्तक्षेपक के पिता) सेवायत चुने गये।

सेवायत गंगा देवी के मरणोपरान्त प्रमोद नारायण सिंह ने गंगा देवी के स्थान पर मौजा–दहमा और रहीमपुर में अपना नाम नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया तथा नामान्तरण वाद सं0–592/65–66 द्वारा अंचल अधिकारी, अलौली ने सेवायत गंगा देवी के स्थान पर जमाबंदी संख्या–32 में श्री राधा कृष्ण स्वामी एवं महावीर स्वामी जी सेवायत श्री प्रमोद नारायण सिंह कानाम दर्ज कर दिया ।

उनका यह भी कहना है कि आवेदक फर्जी है और उनके फर्जी वंशज को प्रश्नगत भूमि से कोई मतलब नही था। जमींदारी उन्मूलन

के पूर्व या बाद में कभी भी गंगा देवी या उनके बाद प्रमोद नारायण सिंह के नाम जमाबंदी पर किसी ने चुनौती नहीं दी। 1966 से सेवायत के रूप में प्रमोद नारायण सिंह का प्रश्नगत भू–खण्ड पर शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है और वैध रूप से कायम पुरानी जमाबंदी को रद्द करना अवैध होगा।

उनका यह भी कहना है कि उक्त देवी देवताओं के प्रबंधन के कार्य हेतु खाता–356, खेसरा–2405 की जमीन सेवायत प्रमोद नारायण सिंह द्वारा बिक्री की गई है और जमाबंदी 32 से विक्रेतागण के नाम जमीन खारिज भी हुआ है।

आगे यह भी बताते है कि सेवायत प्रमोद नारायण सिंह के मरणोपरान्त उनका पुत्र विनोदानन्द सिंह हस्तक्षेपक पक्षकार जमीन एवं उक्त देवी देवताओं का देखभाल करते है। अम्बुज कुमार सिंह को वर्त्तमान में उक्त देवी देवताओं के प्रबंधन से अब कोई सरोकार नहीं रह गया है। हस्तक्षेपक पक्षकार का यह भी कहना है कि सेवायत विनोदानन्द सिंह एवं विक्रताओं का प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण ~~दाखिल~~ कब्जा है और आवेदक का न तो दखल कब्जा कहीं है और न ही जमीन से उनको कोई सरोकार है। अभी तक आवेदक के नाम कोई जमाबंदी भी नहीं चल रही है न ही उनके वंशज के नाम से जमाबंदी प्रश्नगत भूमि पर कायम है। उनका यह भी कहना है कि जब लम्बी अवधि से उनके पक्ष में जमाबंदी चल रही है तो आवेदक के नाम सामान्तरण जमाबंदी कायम करना विधिवत नहीं होगा। उन्होनें आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

आवेदक ने Note of argument भी दाखिल किया है। अपने को खतियानी रैयत का एक मात्र वैधानिक उत्तराधिकारी बताया है। प्रश्नगत भूमि पूर्व जमींदार माधो प्रसाद सिंह खेवट नं0–2 का लगान पाने वाला जमाबंदी रैयत है जिसकी जमाबंदी संख्या–124 है। विपक्षी हस्तक्षेप का प्रश्नगत भूमि पर दावा को गलत बताते हुए कहा है कि अवध बिहारी सिंह ने खेवट सं0–3 की जमींदारी की कुल सम्पति अवध बिहारी सिंह संस्कृत विद्यालय एवं अन्य सेवायत को ट्रस्ट के माध्यम से दान कर दिया था। हस्तक्षेपक पक्षकार जाल फरेबी कर प्रश्नगत भूमि को हथियाना चाहता है।

उनका यह आरोप है कि हस्तक्षेपक पक्षकार द्वारा अवैध रूप से पूर्व जमींदार केशो प्रसाद सिंह खेवट सं0–1 एवं पूर्व जमींदार माधो प्रसाद सिंह खेवट सं0–2 की जमीन को जाल फरेब के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने एवं धोखा देने की नीयत से जाल–फरेबी दस्तावेज तैयार कर सेवायत के नाम से अपना दावा अवैध रूप से कर रहा है। उन्होनें प्रश्नगत भूमि पर हस्तक्षेपक विपक्षी का दखल कब्जा नहीं है बताया है।

आवेदक द्वारा दाखिल क्रमिक खतियान की छायाप्रति का अवलोकन किया। इसमें मौजा–दहमा खैरा खुटटी, थाना नं0–192, तौजी–7559, खाता–356 में खाताधारी दुखा सिंह का नाम दर्ज है तथा कुल अराजी 22 विघा 11 कठ्ठा 2 धूर अंकित है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना। संबंधित जमाबंदी II का भी अवलोकन किया। इसके रैयत खाने में श्री महावीर जी स्वामी सेवायत गंगा देवी पति अवध बिहार सिंह अंकित था उसे काटकर श्री राधाकृष्ण स्वामी न्यो श्री महावीर स्वामी जी ट्रस्टी सेवायत प्रमोद नारायण सिंह पे0 केशव नारायण सिंह, साकिन–रहीमपुर दर्ज है।

(3)

रकवा कॉलम में 22 विघा 5 कट्ठा 2 घूर दर्ज है। अदल बदल करने का हुक्म खाने (Authority of change) दा0खा0 केस नं0–592/65–66 बहुक्म अंचल अधिकारी, अलौली दिनांक–03.03.66 दर्ज है। पंजी II के अनुसार प्रथम लगान रसीद 27/03/64 को रसीद संख्या–618843 द्वारा निर्गत है जो इस पंजी में दर्ज है।

पंजी की स्थिति जीर्ण–शीर्ण है। कुल जमीन से 5–0–0 जमीन खारिज किया गया है परन्तु इसे किस जमाबंदी में दाखिल किया गया है इसका जिक्र अदल–बदल के हुक्म कॉलम में दर्ज नहीं है। वर्ष 1978 के बाद लगान वसूली नहीं हुई है।

उपरोक्त सारे तथ्यों के विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आवेदक अपने को खतियानी रैयत के वारिसान बताते हुए प्रश्नगत भूमि पर जमाबंदी कायम कराने हेतु जो दावा इस न्यायालय में कर रहा है वह भी वर्षों बाद (लगभग 1903 में इस जिले में सर्वे हुआ) विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। हस्तक्षेपक विपक्षीगण की भी जमाबंदी काफी लम्बी अवधि से चल रही है जबकि पूर्व में विपक्षीगण के नाम कायम जमाबंदी को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी। प्रश्नगत भूमि ट्रस्ट से भी जुड़ी है। आवेदक प्रश्नगत भूमि पर दखलकार भी नहीं है। वर्त्तमान स्थिति में यह मामला मेरी राय में स्वत्व का बन गया है जिसके निर्णय के लिए यह न्यायालय सक्षम नहीं है।

अतः आवेदक के आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई भी समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

12/1/15 | 12/1/15
अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। | अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

ज्ञापांक 20 दिनांक 23-1-15

1 प्रतिलिपि - भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया एवं अंचल अधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला सूचना पदाधिकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि उसे जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

अप. समाहर्त्ता
खगड़िया
22.1.15